

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर

सीता देवी बनाम हरवक्श लाल आदि

क्रिम मुकदमा 148(क) सीपीसी नम्बर 5 सन् 2019

तामील हुकम	हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	---

27.05.2019	<p>आज यह कैवियट प्रार्थना पत्र प्रार्थीया सीता देवी पत्नि मुख्तयार पुत्री कंवर सेन जाति खत्री निवासी दशमेश नगर जलालाबाद तहसील जलालाबाद जिला फाजिल्का पंजाब की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह ने अन्तर्गत धारा 148(क) सीपीसी पेश किया प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि चक 9 एस की जमावन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 6/6 के मु.न. 19 के किला न. 1 ता 25 की कुल 6.197 हेक्टर नहरी भूमि में प्रार्थीया 2.065 है. रकवा के संबध में यदि किसी प्रकार का दावा , प्रार्थना पत्र या अन्य कानूनी कार्यवाही अप्रार्थीगण द्वारा पेश की जाती है तो प्रार्थीया को सुने बिना कोई आदेश पारित नही किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। इस संबध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।</p>	
------------	--	--

Ravi
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

30⁸/₁₉

आज यह पत्रावली पेशी में ली गई। उक्त प्रकरण को 90 दिन से अधिक का समय हो चुका है। अब इस कैवियट प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 148(क) CPC में कोई कार्यवाही उपेक्षित नहीं है। कैवियट प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से काम हो



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर